न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या : 32/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी		चन्द्रशेखर शर्मा

मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024	पत्रावली शीध्र सुनवाई प्रार्थना पत्र से पेशी पर ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 आरटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 587/58 रकबा 1.4856 हैक्टर ग्राम मोगडा कला मे आयी हुई है जिसका अप्रार्थी द्वारा बिना भू.उपयोग संपरिवर्तन करवाने मौके पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। वक्त निरीक्षण गैर कृषि प्रयोजन कार्य संबधी गातिविधियो पायी जाने के कारण उक्त खसरे को सिवायचक दर्ज कराने का आदेश तहसीलदार लूणी द्वारा निवेनद किया गया । अप्रार्थी द्वारा वाद तामिल उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कोई गैर कृषि कार्य नही करवाया जा रहा है बल्कि उसके द्वारा कृषि आधारित उधोग हेतु संपरिवर्तन हेतु धारा 90ए भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्रावली जोधपुर विकास प्राधिकारी जोधपुर मे प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है इस संबध मे अप्रार्थी द्वारा जोधपुर विका स प्राधिकारी जोधपुर मे लगायी गयी पत्रावली की फोटो प्रतियां जबाव के साथ संलग्न हैं। हमने बहस उभपक्षकारान् की सुनी गई पत्रावली तथा दस्तावेजो का अवलोकन किय गया जबकि अप्रार्थी द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकारी जोधपुर के साथ भू.उपयोग संपरिवर्तन की पत्रावली की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पप्ट है कि अप्रार्थी द्वारा विधि बल रूप से अपनी खातेदारी की भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (औधोगिकी प्रयोजनार्थ) भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही दिनाक 01.07.2024 अमल मे लायी जा चुकी है किसी भी खातेदार को अपनी भूमि का विधिनुसार भू–उपयोग संपरिवर्तन करना का अधिकार है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner